

सु. नं. 264/22

बड़ी बनाम खेमचंद

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख अदालत  
जो इस हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

13<sup>6</sup>/<sub>23</sub>

आज दिनांक 13-6-23 को महाराज  
राहत सिविल व प्रशासन कोषके  
द्वारा-2023 सिविल-आगत वं. पण्डितपुरा  
में पञ्जावली प्रस्तुत हुई। आज  
दिनांक को वादगीन बड़ी, मोहनी देवी,  
हरिशम, हीरालाल उष. आप। उनके  
द्वारा। प्रा. पत्र इस आशय का पेश  
किया कि वे इस दावा सं. 264/22  
को शान्तिनामा होने के कारण आगे  
नहीं चलाना चाहते हैं। कोर्ट प्रकरण  
Withdraw कलना चाहते हैं, लिखना  
प्रकरण Withdraw कलने की आज्ञा  
प्रदान की जावे।

प्रस्तुत प्रा. पत्र पर माननीय दृष्टिकोण  
आगत हुए, पञ्जावली Withdraw की  
आज्ञा प्रदान की जाती है। प्रकरण  
खारिज होकर कोर्टल शमाट होकर सिविल  
दफ्तरल होकर नमूदा छे करण हो।

बृजलाल साहनी  
बड़वा (पैसा)



बड़ी  
मोहनी देवी  
हरिशम  
हीरालाल